

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा, राजस्थान

नरेश पुत्र मांगीलाल बनाम धाणु पुत्री खन्नी

किस्म मुकदमा:- इजराय आदेश 21 नियम 11 प्रकरण नम्बर 1 / 2026

जी.सी.एम.एस. नम्बर:- मूल वाद प्रकरण संख्या

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|----------------|---|--|
| 5/01/2026 | <p>इजराय नियमानुसार संलग्न दस्तावेजों के साथ न्यायालय क्षेत्राधिकारी में पेश हुई। पत्रावली की नियमानुसार जांच कर दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता डिक्रीदार उपस्थित। इजराय में संलग्न निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रति तहसीलदार बिजौलियां को पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली वास्ते पालना रिपोर्ट आगामी दिनांक 20/01/2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा</p> | |
| 20/1/2026 | <p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिसद बिजौलियां द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक 10/2/2026 को वास्ते पालना रिपोर्ट पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां</p> | |
| 10/02/2026 | <p>पत्रावली पेश हुई, पत्रावली वास्ते पालना रिपोर्ट आगामी दिनांक 24/02/2026 को पेश हो।</p> | |
| 16/02/26 | <p>पत्रावली पेश हुई तहसीलदार बिजौलियां से पालना प्राप्त हुई, जिसे संलग्न पत्रावली किया गया। रिपोर्ट में सम्बन्धित दस्तावेजों को वास्ते पालना रिपोर्ट आगामी दिनांक 24/02/2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा</p> | |

बिजौलियां जिला भीलवाड़ा



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
क्रमांक/रीडर/2026/19 दिनांक: 6/01/2026

प्रेषित:-

तहसीलदार
बिजौलियां।

विषय:- इजराय प्रकरण संख्या 01/26 नरेश बनाम धापू की पालना किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इजराय प्रकरण संख्या 01/26 नरेश बनाम धापू की पालना की पालना बाबत मूल वाद प्रकरण संख्या 59/2025 वात्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 15.12.2025 के निर्णय एवं डिक्री की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

अतः किसी अन्य न्यायालय का स्थगन इत्यादि नहीं होने पर नियमानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट दिनांक 20.01.2026 से पूर्व इस न्यायालय को भिजवाने की सुनिश्चितता करें।

संलग्न:- निर्णय एवं डिक्री की फोटो प्रति एवं नक्शा ट्रेस।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

o/c